FORM NO.11

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

बलराम जाखड़ बनाम भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर

किस्म मुकदमा– दावा अ.धा. 88 आर.टी.एक्ट मुकदमा नम्बर –120/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुवे
22.09.2021	वादी की ओर से श्री रक्षपाल स्वामी एड० ने उपस्थित होकर दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावें। वकील वादी के निवेदन पर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन मय नकलें साधारण तरीके से एंव रजिस्टर्ड डाक मय लिफाफे / स्पीड पोस्ट के जारी की जावें। पत्रावली वास्ते देखने तामिल दिनांक 29.09.2021 को पेश हो। 22/09/21 दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर	
29-9-2021	पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरीकैन हाजिर / पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 8-11-21 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	
08.11.2021	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान– 2021 के तहत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत– नाथूसर में पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र बाबत वाद पत्र को आगे नहीं चलाकर इसी स्तर पर विड्रा कर खारिज किये जाने का निवेदन किया। वकील वादी के निवेदन पर वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विड्रा स्वीकार किया जाकर वाद पत्र [illegible] कर खारिज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। [illegible] शामिल होकर बाद तकमील-दाखिल [illegible] आज दिनांक 08.11.2021 को ग्राम पंचायत– नाथूसर में आयोजित प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के मजमे–ए–आम में सुनाया गया। 08/11/21 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) कैम्पः– नाथूसर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.11.09 18:15:20 IST
Reason: SelfAttested